

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/M2-2995/2021

जयपुर, दिनांक 9-7-21

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

| क. स. | मेरिट/रोल नं. | नाम                       | पदस्थापित विभाग                                                      | कोर्स का नाम             | विश्वविद्यालय का नाम                         |
|-------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | WL-51 (2013)  | श्री हरिओम व्यास          | कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, डीग-कुम्हेर, भरतपुर। | MA(Geography) Final Year | VMOU, Kota                                   |
| 2     | 294891 (2018) | श्री हरिओम योगी           | कार्यालय जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, दौसा      | BCA-1 <sup>st</sup> Year | Jaipur National University Jagatpura, Jaipur |
| 3     | 223550 (2018) | श्री हर्षित पारीक         | कार्यालय तहसीलदार केकडी, अजमेर।                                      | MCA-3 <sup>rd</sup> Year | Suresh Gyan Vihar University(SGVU)           |
| 4     | 317475 (2018) | श्री जितेन्द्र कुमार मीणा | कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।                      | MCA-3 <sup>rd</sup> Year | Jaipur National University Jagatpura, Jaipur |

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

-sd/-

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष.....।
2. कार्मिक.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)